राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति
-सह-विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या SHSB/CH/17/2019

पत्रांक ....

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषय:-'अनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम से संबंधित आयरन फोलिक एसिड (आई०एफ०ए०) सिरप एवं टेबलेट अनुपूरण हेतु लाभार्थियों तक निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ: (1) भारत सरकार का पत्रांक D.O. No. 1762075/2020./mm दिनांक 24.05.2020
(2) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 958 दिनांक 30.06.20
(3) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 1108 दिनांक 29.05.2020 एवं
(4) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 1190 दिनांक 03.06.2020

महाशय,

अमीनिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-59 माह के सभी बच्चों, 5-9 वर्ष के सभी बालक और बालिकाओं, 10-19 वर्ष के विद्यालय आने वाले किशोर किशोरियों, 10-19 वर्ष के विद्यालय नहीं आने वाले किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं (20-24 वर्ष), गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में अनीमिया के रोकथाम हेतु आयरन फोलिक एसिड (आई०एफ०ए०) अनुपूरण किया जाता है।

2. कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के विद्यालय 15 मार्च 2020 से बन्द हैं एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के कर्मियों की कोविड टेस्टिंग, कन्टेनमेण्ट, रेफरल, ट्रीटमेण्ट आदि महामारी कार्यो में व्यस्तता के कारण आयरन फोलिक एसिड सिरप एवं टेबलेट-गुलाबी, नीली एवं लाल, की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

3. उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से किशोर-किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आई०एफ०ए० टेबलेट की आपूर्ति का दिशा निदेश दिया जा चुका है। इसी क्रम में सुनिश्चित किया जाय कि-

क. <u>06 माह से 59 माह के बच्चों</u> को सप्ताह में दो दिन 1 मिली (आटो डिस्पेन्सर से) आई०एफ०ए० सिरप माता के माध्यम से पिलाई जाय। आई०एफ०ए० सिरप की एक बोतल (50 ml) एक बच्चे के लिए 6 महीने के लिए पर्याप्त होता है। इसे आशा के माध्यम से लाभार्थी बच्चों के माता को अविलम्ब आपूर्ति की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि दी जाने वाली आई०एफ०ए० सिरप की बोतल 6 महीने के अन्दर एक्सपायर (Expire) नहीं हो रही हो।

ख. <u>05 से 9 वर्ष (कक्षा 01-05) के बालक बालिकाओं</u> को सप्ताह में एक दिन (बुधवार) गुलाबी गोली विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से खिलाने का प्रावधान है। कोविड-19 महामारी के कारण जब तक विद्यालय बन्द हैं, तब तक प्रति बच्चा एक स्ट्रिप (15 गोली का एक पत्ता) तीन माह हेतु माता/अभिभावक को आशा के माध्यम से दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि दी जाने वाली गुलाबी आई०एफ०ए० गोली की स्ट्रिप 3 महीने के अन्दर एक्सपायर (Expire) नहीं हो रही हो। आपूर्ति का विवरण आशा फैसिलिटेटर के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में BCM को जमा करेंगी।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

ग. **<u>10-19 वर्ष के किशोर किशोरियों</u>** को नीली गोली का अनुपूरण राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 1190 दिनांक 03.06.2020 में वर्णित निदेशानुसार।

घ. **<u>गर्भवती एवं धात्री माताओं</u>** को लाल गोली द्वारा अनुपूरण राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 1108 दिनांक 29.05.2020 के अनुसार।

ङ. **<u>20-24 वर्ष के प्रजनन उम्र की महिलाओं जो गर्भवती अथवा धात्री न हो</u>** को भी आशा के माध्यम से आयरन फोलिक एसिड की एक गोली (लाल) प्रति सप्ताह खिलाया जाए। आयरन फोलिक एसिड **Essential Drug लिस्ट** की सूची में आच्छादित है।

4. जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी (DIO) के मार्गदर्शन में जिला सामुदायिक उतप्रेरक (DCM) प्रखण्डवार आयरन फोलिक एसिड (आई०एफ०ए०) सिरप एवं टेबलेट की उपलब्धता को देखते हुए आवश्यक दवाओं की मात्रा की गणना कर प्रखण्डों को अविलम्ब दवा की आपूर्ति करेंगे।

5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC), प्रखण्ड सामुदायिक उतप्रेरक (BCM) एवं ड्रग-स्टोर कीपर के माध्यम से सभी आशा को आवश्यक मात्रा में दवा उपलब्ध करायेंगे। आशा कोविड 19 महामारी से संबंधित आवश्यक सावधानियों- मास्क, हैण्ड-वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दवाओं को लाभार्थियों तक पहुचायेंगी।

6. प्रखण्ड सामुदायिक उतप्रेरक (BCM), सभी आशा/ आशा फैसिलिटेटर से पिछले माह का अनुपूरण प्रतिवेदन संकलित कर ससमय HMIS पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिला स्तर पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी (DM&E), प्रखण्डों से प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर ससमय HMIS पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. दवा वितरण के समय हर स्तर पर ड्रग स्टोर कीपर द्वारा First Expiry First Out (FEFO) सिद्वान्त का दृढ़ता से पालन किया जाय।

अनुलग्नक- **यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह०/-

(मनोज कुमार)

पत्रांकः 1268 दिनांकः 7/06/2020

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य, सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
4. प्रबंधक निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
7. निदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएॅ को सूचनार्थ प्रेषित।
12. सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. को सूचनार्थ प्रेषित।

13. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
14. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, आर०के०एस०के०/मातृ स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
15. सहायक निदेशक, औषधि, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
16. सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
17. सभी जिला सामुदायिक उतप्रेरक (DCM) को बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
18. सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी (DM&E) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
19. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
20. निदेशक SRU, को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक,
-सह-
विशेष सचिव